



2026:AHC:128121

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 (बी.एन.एस.एस.) संख्या -
4065 वर्ष 2026**

भूपेंद्र मेरठिया

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: अरविंद कुमार उपाध्याय, गौरी शंकर मिश्र

विपक्षी गण की ओर से अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 47

माननीय न्यायमूर्ति श्री तरुण सक्सेना

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना गया।
2. आवेदक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 482 के अंतर्गत वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 521 वर्ष 2025, धारा 115(2), 109(1), 191(1), 191(2), 191(3) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), थाना इगलास, जनपद अलीगढ़ में अपनी गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त/आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कथित घटना में आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका निर्धारित नहीं की गई है तथा घायल व्यक्तियों को प्राप्त किसी भी चोट की प्रकृति गंभीर अथवा जीवन के लिए खतरनाक नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि तीन सह-अभियुक्तगण को सत्र न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान की जा चुकी है, जबकि एक सह-अभियुक्त मनोज तिवारी

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 1450 वर्ष 2026, धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दिनांक 13.02.2026 को पारित आदेश द्वारा अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। यह भी कहा गया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान पूर्ण सहयोग करने का वचन देता है तथा विवेचक अथवा न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, वह उपस्थित होगा। यह भी निवेदन किया गया कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसे अपनी गिरफ्तारी की आशंका है तथा वह अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना करता है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया।
5. अग्रिम जमानत के क्षेत्र एवं दायरे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन महत्वपूर्ण एवं मार्गदर्शक निर्णयों में विस्तार से स्पष्ट किया गया है, अर्थात् **गुरुबकश सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 565; सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694; तथा सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1।** इन निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरंतर यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करते समय न्यायालय को आवेदक के प्रार्थना-पत्र पर विचार करते हुए गिरफ्तारी की आशंका एवं खतरे का मूल्यांकन, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास, झूठे अथवा अतिरंजित रूप से फंसाए जाने की संभावना, अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता, विवेचना एवं विचारण में सहयोग करने की अभियुक्त की तत्परता, अभियुक्त का आचरण तथा उसके फरार होने की संभावना जैसे सभी प्रासंगिक पहलुओं पर समग्र रूप से विचार करना चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इस न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता एवं प्रकरण में आवेदक की गिरफ्तारी की आशंका को, उसके कम फरार होने की संभावना के साथ समग्र रूप से विचार करने के उपरांत, यह सुविचारित मत व्यक्त किया है कि आवेदक अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु अपना मामला स्थापित करने में सफल रहा है।
7. गिरफ्तारी की स्थिति में, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक भूपेंद्र मेरठिया को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो-दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा—
- (i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से रोकने के उद्देश्य से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा तथा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें भयभीत करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उन तिथियों पर उपस्थित रहेगा, जो निम्नलिखित कार्यवाहियों हेतु निर्धारित की जाएंगी (i) वाद प्रारम्भ किए जाने के लिए, (ii) आरोप निर्धारण के लिए, तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए।
- (iv) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों और साक्ष्य हेतु तिथि नियत हो, तब वह किसी भी प्रकार का स्थगन प्राप्त करने का अनुरोध नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं उपस्थित रहेगा अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी केवल प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है तथा इसे किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर न्यायालय की अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा और इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना)

दिनांक : 18 जून, 2026

एस.के. श्रीवास्तव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।